संख्या-32/2024 /973 /001-78-02002-099-24-2019-ई-252330

प्रेषक,

राधेश्याम,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक:14 अगस्त, 2024

विषय: उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि.(सहकारिता विभाग) के कार्यों एवं सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु आई.टी. पूल फण्ड से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधनित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि.(सहकारिता विभाग) की शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति के माध्यम से आम-जनमानस की उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव लागत रू0-97,27,860.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0-48,63,930.00 की शासनादेश संख्या-25/2021/1615(1) 78-2-2021-112आईटी 2016 दिनांक 20-12-2021 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में आईटी पूल फण्ड से 10 प्रतिशत की धनराशि अर्थात रू0-4,86,393.00 एवं शासनादेश संख्या-10/2023/2884/78-2-2023-112आईटी/2016 दिनांक 29-03-2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 30 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0-1459179.00 अवमुक्त की गयी थी।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:सॉफ्टवेयर:3108:2024-25:806-509 दिनांक 04-07-2024 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि.(सहकारिता विभाग) में शासकीय सेवाएं अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्धति के माध्यम से आम-जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20-12-2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रू0-48,63,930.00 के सापेक्ष आईटी पूल फण्ड की गाइड लाइन में निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष **"2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय"** मद में प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0-9,72,786/-(रूपये- नौ लाख बहत्तर हजार सात सौ छियासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।
5. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।
6. स्वीकृत धनराशि आहरित कर स्टेट बैंक इण्डिया/ राष्ट्रयकृत बैंकों में ही रखा जाए और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज आर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04-03-2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित विभाग / निगम द्वारा हार्डवेयर का क्रय नहीं किया जायेगा।
9. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित आकडों की शुद्धता सुनिश्चित करेगें।
10. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग "आईटी पूल फण्ड की गाइडलाइन" एवं ई-गवर्नेन्स हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं भुगतान कार्यदायी संस्था को किये जाने से पूर्व उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पीसीएफ) से इस आशय से का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा कि उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पीसीएफ) द्वारा अपने हिस्से के 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान यूपीएलसी को कर दिया गया है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये-9,72,786.00 (रुपये नौ लाख बहत्तर हजार सात सौ छियासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक 2852072022100 आई0टी0 पूल फण्ड की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राधेश्याम
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अतल सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।